## Fourteenth Loksabha

Session: 5 Date: 29-08-2005

Participants: Kusmaria Dr. Ramkrishna,Rao Shri Kavuru Samba Siva,Kumar Shri Shailendra,Radhakrishnan Shri Varkala,Singh Dr. Akhilesh Prasad,Seth Shri Lakshman Chandra,Singh Ch. Lal,Deo Shri Bikram Keshari,Tripathy Shri Braja Kishore,Chandrappan Shri C.K.,Singh Dr. Akhilesh Prasad,Thakkar Smt. Jayaben B.

an>

Title: Motion for consideration of Warehousing Corporations (Amendment) Bill, 2005, as passed by Rajya Sabha-Bill passed.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, we will take item no. 18 - Warehousing Corporations (Amendment) Bill, 2005.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION (DR. AKHILESH PRASAD SINGH): Sir, I beg to move:

"That the Bill further to amend the Warehousing Corporations Act, 1962, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

## MR. DEPUTY-SPEAKER: Motion moved:

"That the Bill further to amend the Warehousing Corporations Act, 1962, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

डॉ. रामकृण कुसमिरया उपाध्यक्ष महोदय, यह सर्वविदित है कि भारत कृति प्रधान देश है। यहां के किसानों की हालत काफी खराब रहती है। यह देखने में आया है कि भंडारण की व्यवस्था न होने के कारण किसानों को सस्ते दामों पर अपनी फसल बेचनी पड़ती है। यदि भंडारण की सुविधा हो जाए तो वे अच्छे दामों पर अपनी फसल बेचकर उसका लाभ उठा सकते हैं।

**16.37 hrs.** (Shrimati Sumitra Mahajan *in the Chair*)

मंत्री जी जो बिल लाए हैं, हालांकि यह पुराना बिल है, लेकिन काफी दिनों से इसे नया करने की आवश्यकता थी। यह बिल किसानों के हित में होगा। इसमें सबसे बड़ी बात है कि किसानों के पैसे की गारंटी होती है। अगर वह अपना अनाज वेयरहाउसिंग में जमा करता है तो उसे फसल का कम से कम 80 प्रतिशत पैसा मिल जाए, तो वह उस धन को खेती के खर्च और अन्य जरूरत की पूर्ति में लगा सकता है। इस बिल में इस तरह की व्यवस्था की आवश्यकता है।

भंडारण की व्यवस्था ग्रामीण इलाकों में बहुत आवश्यक है, क्योंकि किसानों को शहर तक जाने में अड़चन आती है। कई बार बरसात के मौसम में उन्हें परेशानी होती है क्योंकि सड़कें ठीक नहीं हैं, आवागमन के साधनों की कमी है। यदि ग्रामीण इलाकों में भंडारण की व्यवस्था हो तो किसान उसका समुचित लाभ उठा सकते हैं। इस बिल के माध्यम से मेरी अपील है कि ग्रामीण इलाकों में इसका विस्तार किया जाए।

एक योजना बनी थी जिसमें ग्रामीण भंडारण के बारे में था। कई किसानों ने निजी तौर पर भंडारण गृह बनाए। उनका लाभ लोगों को हो रहा है। उस योजना को भी और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है तािक किसान अपने भंडारण गृह बनाएं। इससे उनको सहूिलयत होगी। अगर उनकी सब्सिडी में इजाफा किया जाए तो किसानों के लिए लाभकारी होगा।

अभी देखने में आया है कि कई प्रान्तों में बाढ़ आई और किसानों का गल्ला उनके घरों में रखा-रखा सड़ गया। वे बहुत मुसीबत में पड़ गए और खाने को मोहताज हो गए। आज फसल बोने के लिए उनके पास बीज नहीं cé[R72]।यदि भंडार गृह की व्यवस्था होती, वेयरहाउस की सुविधा होती, तो उनकी यह दुर्दशा न होती। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि इसका विस्तार ग्रामीण इलाकों में ज्यादा होना चाहिए, तािक कभी इस प्रकार की प्राकृतिक आपदा आती है और उससे निपटने के लिए किसान ने अपनी फसल वहां रखी है, तो फिर उनको किताई नहीं होगी। आपने इस बिल में प्रावधान किया है कि राट्रीयकृत और अनुसूचित बैंकों से भी इसका सम्पर्क बनायें और ज्यादा से ज्यादा धन लेकर इसको आगे बढ़ाने का काम करें, तो यह सराहनीय कदम है। यह व्यवस्था इसिलए ठीक है क्योंकि आज के उदारीकरण, वैश्वीकरण के युग में स्पर्धा के लिए पैसे की अधिक आवश्यकता है।

सभापित महोदया, इस बिल में निदेशक मंडल और उपाध्यक्ष रखने की जो व्यवस्था की गयी है, उसमें यह ध्यान रखने की ज्यादा आ वश्यकता है कि किसानों के साथ पक्षपात न हो क्योंकि ज्यादातर वेयरहाउस का उपयोग व्यापारी लोग करते हैं और किसानों को उसका फायदा उठाने का मौका नहीं मिलता। किसान लोग ऐसे ही बैठे रह जाते हैं। आपने इस बिल में वैतनिक अधिकारी या जो पदाधिकारी बनाने की व्यवस्था की है, उसके तहत यह प्रबंध होना चाहिए कि किसानों के साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार न हो। उनको साथ पक्षपात न किया जाये और वहां उन्हें अपनी फसल बिल्कुल न्यायसंगत तरीके से रखने की व्यवस्था हो। इसके साथ-साथ भंडार गृह बनाने के लिए सब्सिडी देने की भी व्यवस्था होनी चाहिए।

अंत में, मैं कहना चाहूंगा कि यह बिल किसानों के हित में आया है। मैं मंत्री जी को धन्यवाद करूंगा कि वे इस बिल में जो सुधार करने जा रहे हैं, उससे किसानों को लाभ होगा। ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को इससे काफी फायदा होगा। इसके साथ-साथ निजी तौर से वेयरहाऊसिंग का जी स्कीम है, उसमें आप इजाफा करेंगे और किसानों की सबसिडी बढ़ाने का भी काम करेंगे।

SHRI K.S. RAO Madam Chairman, the amendment that has been brought out by the hon. Minister is definitely a very minor one. I, particularly, support this because it increases the number of non-official Directors, and reduces the number of Government Directors. Earlier, the case was different. The policy of the Government has also totally changed now. Earlier, it was dependent entirely on the Government, and we wanted everything to be done by the Government including the business, trade, manufacturing, etc. Today, the concept has totally changed and we are now permitting and encouraging privatisation, globalisation, etc.

Actually, the need for increasing the non-official Directors is more and reducing the Government Directors is less, and it has been brought out by the hon. Minister. This is the reason for me supporting it. The other amendments are also on the same lines, namely, very minor in nature. In this context, I want to bring to a point to the notice of the hon. Minister. Earlier, the need for storing food grains -- when there was shortage of

food in this country and we were importing it from other countries -- on a large scale was necessary. But, today, we have reached a level where we have become self-sufficient, and we have got enough food grains in the entire country. As I was telling the other day that the need to stock food would provide food security, particularly, to the poor. It is necessary and it cannot be totally avoided, but its role can be scaled down.

I have also observed that a lot of people complain to me in the constituency that in the recent past, the Government has encouraged a lot of private people to construct godowns in the villages. As a result, a large number of godowns have come up with prior contract with the Government. I am given to understand that most of the commodities that are to be stored in it like food grains, vegetables, fruits, etc. are being stored in private godowns rather than in CWC godowns or in Food Corporation of India godowns[ak73].

As a result of that, a lot of godowns built by the CWC are lying idle without earning any income, whereas the Government is paying rent to the owners of private godowns which is not in the national interest. They say that since they have already entered into an agreement with the private parties for four, five or six years, whether they utilise the private godowns or not, they have to pay rent to them. Therefore, they say that they are sending foodgrains and vegetables to private godowns keeping the Government property idle, and thereby keeping the Government employees of CWC and the Food Corporation idle. I think, the Minister has to take the precaution to ensure that the Government godowns are filled up first, and if there is no sufficient space with them, then only they should utilise the private godowns; otherwise, they should not use them. The Minister should also caution the respective officers who are working either in CWC or in the State Warehousing Corporations that they should not enter into long-term contracts with the private corporations or individuals for filling up their godowns. Where is the need for it? Let there be a clause in the agreement that as and when the necessity arises to fill their godowns, only then they will do it. It should not be done under any compulsion. What is the use of filling up godowns owned by private parties leaving the Government godowns vacant, and also paying crores and crores of money to them?

I request the hon. Minister to please get the statistics from various parts of our country as to how much space in Government godowns is lying idle and how much they are paying to the private parties. Please make an amendment and pass on the necessary instructions to the concerned; if necessary, even scrap those agreements with the existing private parties.

With these few words, I support this Bill. At the same time, I want the Minister to save the interest of the nation and our people by filling the Government godowns first, and to provide work to the Government staff who are drawing salaries. The Minister should also provide work to the porters/malis who are working in CWC and Food Corporation. These poor people do not have any work and, therefore, they are idle. The Minister must look after all these things.

SHRI LAKSHMAN SETH Madam Chairman, the Bill is a very simple one and not a major Bill. I have no objection to the passing of this Bill. Through this Bill, the Government has decided to give more autonomy to CWC. That is why, in the Bill, it has been proposed that three functional directors will be inducted, and certainly, the directors will be experts, who will really gear up this Corporation so that it can make more profit. This Corporation is now making profit. That is why, the Government has declared this Corporation as a 'mini-ratna'. It has a vast potentiality for expansion and growth. In a country where economic growth is taking place, storage facilities are very much important. Storage-cum-marketing infrastructure is very much important to cope up with the needs of industrial growth and economic growth. That is why, we want more and more specialised storage systems. In our country, millions and millions of tonnes of foodgrains are either being spoiled or getting contaminated, which is very unfortunate. That is why, we want more expansion of the warehousing facilities throughout the country. My proposal is that in every block of the rural areas, in every municipality, there should be warehousing facilities. That is why, with a view to give more autonomy to the Corporation, the Government has introduced this Bill.

There is an apprehension in the minds of the employees who are really rendering good service to make this Corporation profitable. It is because during the NDA regime, about 4,000 employees were given VRS. There is also a plan to make more people opt for VRS. Eleven thousand employees are working in this Corporation. With their untiring effort, this Corporation has been making profit. Therefore, when you are giving autonomy by inducting functional directors, I would request you to protect the interests of the employees. You have to take the employees into confidence so that they can give good service to the nation [R74].

We are not objecting to it by saying that storage facilities should be developed by the Government only. What the hon. Member Shri K.S. Rao said a little while ago is true. There are many CWC warehouses in various parts of the country - there are two in my Constituency - but they do not have enough work to do. Private godowns are coming up on a large scale. Some of the private godowns are not maintaining the systems properly. Contamination, adulteration and other malpractices are taking place in these private godowns.

Warehouses should be built in a proper way with facilities like cold storage. Irradiation facilities can also be provided in the warehouses so that we can really combat contamination and increase the life of the produce as a result of which our farmers can be highly benefited. We want the CWC warehouses to be modernised in order that they are able to cope up with the needs of the present day. The Government should certainly provide more and more funds for this purpose. This is a welcome proposal. This Corporation should be able to borrow money not only from the nationalised banks, but also from the scheduled banks for its capital. Otherwise, these warehouses cannot be developed and strengthened.

There are only about 490 warehouses in the country and I do not think that sufficient. That number is totally inadequate. If we want more and more benefits to accrue to our farmers in the rural areas, the network of

warehouses should be expanded. The farmers are producing in large quantities but they are not getting a good price for their produce because adequate storage facilities are not available to them. This is a very important thing. That is why I say that warehousing facilities in rural areas should be expanded with all modern systems like irradiation system, cold storage system, etc. Science has brought for us many new techniques for protecting and prolonging the life of various commodities. However, these systems are not being introduced in our warehouses.

I congratulate the hon. Minister and the Ministry for having brought this Bill in order to give autonomy to CWC. At the same time, I think that they will certainly dispel my apprehension that this autonomy would not be converted into privatisation. This is a *mini-ratna* organisation which is making a profit. The organisation should be strengthened. In the name of giving autonomy if this company is privatised, it will be bad for the nation. The employees who are giving their sweat and toil for the development of the Corporation would be deprived of their livelihood if it were privatised.

Therefore, while I support the Bill, I hope that the Minister will take note of the apprehensions that I expressed and ensure that the interests of employees are protected. At the same time, after the passage of this Bill, the Ministry should evolve a mechanism to see that warehousing facilities are expanded and developed with modern systems everywhere in the country, especially in the rural areas. This will be of immense help to the nation.

Storage is a very serious problem being faced in the country. Due to lack of storage facilities, millions and millions of tonnes of various commodities are getting spoiled. After the passing of this Bill, the Minister should take serious note of this and lay more and more emphasis on improvement and development of warehousing infrastructure throughout the country.

With these words, I give my support to this Bill.

श्री शैलेन्द्र कुमार सभापित महोदया, आपने मुझे वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन (संशोधन) विधेयक, 2005 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं मंत्री जी को कुछ सुझाव देना चाहता हूं। जैसा अभी हमारे माननीय सदस्यों ने कहा, यह बात सत्य है कि आज पूरे देश में चाहे वह अनाज की बात हो या फलों की बात हो या सिब्जयों की बात हो, हम आत्मिनर्भर हुए हैं। बहुत से ऐसे इलाके हैं, जहां पर पैदावार इतनी अधिक होती है कि वह चाहे सब्जी हो या फल हों, फेंके जाते हैं या जानवरों को खिलाए जाते हैं। हमारे यहां फर्रूखाबाद साइड में आलू का काफी उत्पादन होता है। कोल्ड स्टोरेज में जगह नहीं होने के कारण वह बोरों में पड़ा-पड़ा सड़ जाता है। हमारे नेता प्रोफेसर यहां बैठे हैं, उनके क्षेत्र में टमाटर बहुत होता है। कई बार तो वह जानवरों को खिलाया जाता है। इसिलए सरकार कम से कम ऐसे फले और सब्जियों के रखने की कोई व्य वस्था करे।

इस विधेयक में संशोधन किया गया है कि 'उपाध्यक्ष' शब्द को खत्म करके 'निदेशक मंडल' की व्यवस्था की गयी है। निदेशक मंडल में गैर सरकारी निदेशकों को कम करने की बात कही गई है। मेरा सुझाव है कि निदेशक मंडल में ज्यादातर ऐसे लोगों को स्थान देना चाहिए, जो विशोज्ञ हों, जो गांव से आते हों और किसान तथा खेती के बारे में जानकारी रखते हों। ऐसे लोगों को आर रखेंगे तो भंडारगृहों से सम्बन्धित जो मामला है, वे उसे अच्छी तरह से देख सकेंगे और सही रूप में संचालन कर सकेंगे।

पूरे देश में करीब 500 भंडार निगम हैं। हमारे क्षेत्र में भी कुछ हैं। उनमें से कुछ निजी क्षेत्र में और कुछ सरकारी क्षेत्र में हैं। लेकिन हमने देखा है कि उनकी हालत काफी दयनीय है। फाटक की व्यवस्था नहीं है, कोई भी व्यक्ति अंदर जा सकता है। इसके अलावा दीवारें टूटी हुई हैं, सीलन है, चूहों की भरमार है और कहीं पर अनाज बोरों में पड़ा सड़ रहा है। जैसा कई माननीय सदस्यों ने कहा कि वहां आसानी से मिलावट भी होती है। लोग अच्छे अनाज के बदले खराब अनाज वहां रख देते हैं और कर्मचारी उसे डैमेज या स्क्रैप कह कर छुटकारा पाते हैं। इससे सरकार को काफी राजस्व का नुकसान होता है। मैं चाहता हूं कि भंडारगृहों की व्यवस्था अच्छी तरह से होनी चाहिए।

कुछ माननीय सदस्यों ने इस बात का उल्लेख किया कि जब कभी बाढ़ आती है, तो किसानों के पास जो अपने घरों में अनाज का भंडारण होता है, वह बह जाता है या सड़ जाता है, जिसका कोई उपयोग नहीं होता। इसकी वजह यह है कि वहां पर्याप्त मात्रा में भंडारगृह नहीं होते। हमारे उत्तर प्रदेश में मंडी परिाद हर जगह गांवों में, देहात में हाट की व्यवस्था करती है। वहां किसान अपने अनाज, फलों और सब्जियों को लेकर आता है और उसकी बिक्री होती है। वहां वह अपने उत्पाद को यातायात के माध्यम से दूसरी जगह भी भेज सकता है। सरकार को इस प्राकार की व्यवस्था दूसरी जगहों पर भी करनी चाहिए। अगर गांवों में न कर सके, तो ब्लाक स्तर पर करे, जिससे किसान के उत्पाद का अच्छी तरह से भंडारण किया जा सके। इससे हमारे राजस्व में भी बढ़ोत्तरी होगी।

किसानों के उत्पादों के लिए भंडारगृह बनाने के लिए सरकार को अगर सब्सिडाइज दर पर ऋण भी देना पड़े, तो वह देना चाहिए, जिससे किसान अपने गांव में ही एक जगह अपने उत्पादों को रख सके। कई जगह गांवों में धान मिलों में स्टोरेज की व्यवस्था होती है। वहां किसान अपना चावल रखते हैं, जिसकी वहीं सफाई भी हो जाती है। इसी तरह से वे आलू भी कई दिनों तक वहां रख सकते हैं। ऐसे ही अनाज रखने की व्यवस्था होनी चाहिए।

माननीय सदस्यों द्वारा सदन में इस संशोधन विधेयक पर कई सुझाव दिए गए हैं। निदेशक मंडल के लिए वेतन और भत्ते प्राप्त करने की व्यवस्था है, वह बहुत अच्छी की cè[R75]।

## 17.00 hrs.

जब कुछ लाभ मिलता है तब लोग बड़ी रुचि लेकर काम करते हैं लेकिन जब लाभ नहीं मिलता है तब रुचि नहीं लेते हैं। आपने जो वेतन और भत्ते की व्यवस्था की है, वह बहुत अच्छा किया है, इससे निदेशक मंडल की रुचि भी बढ़ेगी और अच्छे सुझाव भी आयेंगे। इस विधेयक में जो निदेशक मंडल बनाने की व्यवस्था की गयी है, वह निदेशक मंडल बने, जिससे किसानों और कर्मचारियों के हित की बात हो सके।

में इस संशोधन विधेयक का समर्थन करते हुए अपना बात समाप्त करता हूं।

SHRI C.K. CHANDRAPPAN Madam, Chairman, this Warehousing Corporation (Amendment) Bill, 2005 is a very small Bill, and I rise here to support it.

The objectives of the Bill, as it is stated, are professionalisation and the rationalisation of the Central Warehousing Corporation, for which they want to make three more Directors. They also want to raise the resources from public financial institutions. The objectives are good, but the question is that in the name of professionalisation, why officials are made Directors? I could not understand this. Is it part of the bureaucratisation?

Actually, if they want to professionally manage this institution, it would have been better to provide experts to be drawn to the Board of Directors so that their expertise could be used for professionalising this institution. It does not mean that no official is an expert. If they are, it is okay. But otherwise, what would happen is that probably, the officials would find another grazing ground where they can go.

Madam, they are providing Rs. 15 lakh annually for three directors, which would attract many to spend time there. That could not be. That is why I say, experts should be given preference and some officials, who are experts, can also be included.

Madam, I am afraid, my friend was pointing out 'always rationalisation would mean --- at least, up to now, it was meant -- retrenchment of workers, to make it efficient in the name of rationalisation. The previous Government had done their job: 4,000 employees were kicked out of it. So, what is their idea of rationalisation? I hope, while replying to the debate, the Minister would make it clear and explain about whether more VRS, more retrenchment no waiting for making it a rationalised institution.

There is a new theory -- growth without employment. I think, the UPA has abandoned that theory of growth without employment. If that is so, that should be made clear. Otherwise, there is a fear that they may also retrench the workers in the name of rationalisation.

Madam, it is good that the Government is going in for more resources from financial institutions. There is nothing wrong in it to run this institution to make it professionally and commercially viable. It will be very necessary. But at the same time, one should be careful that it should not lead to extravaganza. Now, if these things are taken care of, we are happy to support this Bill. But these fears should be taken note of. I hope, the hon. Minister while replying, will dispel these fears.

SHRI BIKRAM KESHARI DEO Madam, Chairman, I rise to support this Warehousing Corporations (Amendment) Bill, 2005 because the idea of the Bill is to strengthen the procurement sector and the storage facilities in the country, which predominantly deals with of the products of the farmers[k76].

In this Bill, there are provisions to make the Warehousing Corporation, which is already running pretty well, more flexible and more acceptable to get and store the produce of the farmers on time.

Madam Chairman, as you know, and the House already knows it, after the crop is put in the field, there are three vital stages in the entire agricultural operations in the country - procurement, storage and distribution. These three stages are the most important factors which determine the economy of the agriculturists. It is sad to say that today, in a country like India, contribution of agriculture to the GDP is only one per cent. What is the reason for this? The reason is that the farmers do not have proper storage facilities. They do not get the right price for their produce. We have achieved Green Revolution - I agree that we have achieved full success in Green Revolution - but does achieving Green Revolution mean that the only aim of the farmer is achieving self-sufficiency in the production of rice and wheat? No, Madam Chairperson. At the same time, this country is importing pulses worth nearly Rs. 50,000 crore and edible oils and oilseeds worth Rs. 49,000 crore. We do not have any proper storage facilities for them.

Madam, I would like to congratulate the last Government – the NDA Government – and my colleague Shri Jual Oram, who was the Minister for Tribal Affairs. He initiated a very innovative scheme of making grain banks in tribal areas. It was very beneficial for the farmers. If this Warehousing Corporation really wants to do justice to the farmers, it has to go to the village, it has to go to the panchayats, it must have collection facilities at the panchayat level. The *mandi* system still exists because there is no other system for the farmers to sell their produce. But, Madam, with the new WTO agreements, trade-related policies and patent laws, we should see that the farmer gets the best price at his doorstep. That could be possible only if the Central Warehousing Corporation becomes proactive. I think that the UPA Government has taken a right step in this matter and I congratulate the Minister for bringing in a Bill of this nature. I feel that the Warehousing Corporation should be more flexible and autonomous. I agree with Shri Chandrappan's view that, instead of making it an official body, it should get more autonomy. Madam, in the last Government, we amended the Cooperative Societies Act as per the Braham Prakash Committee's Report and gave more autonomy to the cooperatives - the cooperatives which work at the rural or ground level. Then why can we not make it for a public undertaking? We should involve experts in this field and create more grain banks at the panchayat level. We should develop warehousing in the backward areas like – kalahandi and KBK areas or regions of the country so that the farmers living there get due price for their produce and do not go in for distress sales.

Besides this – it has been seen in the FCI also – foodgrains worth crore of rupees are being destroyed. This thing should be avoided in the Central Warehousing Corporation. I believe the Food Corporation of India also takes Central warehouses on lease basis and store its procurement in the godowns[pkp77].

It is a welcome Bill. Though it is a small Bill, it has got a lot of ramifications for the farmers. These are very vital for a country because we, the farmers, constitute 60-70 per cent of the population, and we are based in rural India.

Considering these views, I support the Bill.

SHRI VARKALA RADHAKRISHNAN Madam Chairman, while supporting the Warehousing Corporations (Amendment) Bill, 2005, I have to point out the ground realities that are existing in the country.

Some of the godowns maintained by the Warehousing Corporation have been closed down and the workers who are engaged there for decades are thrown out of employment. The public distribution system largely depends on the warehousing of the stocks. The Food Corporation of India also is playing a very vital role in the distribution system. Now, the materials are stored in the warehouse. In most of the cities, there are one or two warehouses now available and some of them have been closed down.

Though my friends here in the House were demanding opening of warehouses in the rural areas – that is a good proposal – I say that the existing ones could not be maintained and are being closed down. Closure notices are pasted on the walls, inviting agitation by the workers who are employed there. The poor workers are doing manual labour and their livelihood depends on the work that is available at the godowns.

When this is closed down, some 100-200 families in the neighbourhood are put to starvation. These poor people are thrown out of employment. This is the ground reality. So, I request the hon. Minister to consider this.

When we are discussing this Amendment Bill, these are the ground realities now available in the country.

We are discussing about the Board of Directors, the Chairman and others; that is good and I support it. But the question is how to maintain them? They will have to take the matter very seriously because not only the workers are thrown out of employment, the farmers do not get sufficient space to store their harvested produce.

As was pointed out by Shri K.S. Rao, private godowns are coming up. The godowns of the Corporation are being closed down; the net result is that there is undeclared privatisation in this field, which will ultimately lead to closing down of all godowns of the Corporation; and even the Corporation will be wound up. That is the situation gradually coming up in the country. So, I request that the Government should see the ground realities and the first step that the Government should take is to discourage the setting up of private godowns.

As far as possible, the Wirehousing Corporation's godowns that are now existing should be utilised for storing foodstuffs and strict direction should be given to the FCI to have the foodstuffs stored there. Otherwise, the situation will become very grave. So, I think, the Government will give a serious thought on these matters and do the needful without any delay so that we can prevent the proposed workers' agitation etc. creating unrest in the country.

With these words, I support the Bill.

श्री संतोा गंगवार सभापित महोदया, वैसे इस बिल में बहुत थोड़ा प्रावधान है। सरकार ने सैंट्रल वेयर हाउसिंग कारपोरेशन के काम को और सिक्रिय बनाने के लिए फंक्शनल डायरैक्टर्स बनाने का फैसला लिया है। मैं बहुत अधिक नहीं कहना चाहूंगा। इसका काम कैसा cè[R78]? इस बारे में माननीय मंत्री जी से दो-तीन एक्सप्लेनेशन्स जरूर जानना चाहता हूं। दसवीं पंचवींय योजना में कितना भंडार करने का लक्ष्य रखा हुआ है? जब कभी हम सड़क पर जाते हैं या कहीं और जाते हैं तो हमें सड़क पर तिरपाल के नीचे ढका हुआ अनाज मिलता है। हिरत क्रांति के बाद अनाज की पैदावार निरंतर बढ़ी है लेकिन दुर्भाग्य है कि उसकी देखभाल हम नहीं कर पाते हैं। जो किसान अपना अनाज बेचना चाहता है, उसे सरकार के बजाय बिचौलिया या व्यापारी ले जाता है, जिसका सही पैसा किसान को नहीं मिलता है। अब आप नये तरीके से काम करना चाहते हैं तािक किसानों को सही मूल्य मिले, वैज्ञानिक तरीके से उसकी उपज का भंडारण हो, जिसका उसे सही लाभ मिल सके। अगर लक्ष्य दस मीट्रिक टन का है तो मैं केवल यह जानना चाहता हूं दसवीं पंचवींय योजना में कितना लक्ष्य है और उसमें आप कितनी उपलब्धि प्राप्त कर पाएंगे?

मैं उत्तर प्रदेश की बात आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में लेवी चावल का प्रोक्योरमैंट यू.पी. में न करके आप राज्य सरकार के खाद्य विभाग से करवाते हैं। इस कारण से बहुत सी समस्याएं पैदा होती है। इससे किसानों को भी परेशानी होती है जबिक व्यापारी और बिचौलिए लाभ उठाते हैं। दूसरे राज्यों में आपके द्वारा इसका परचेज़ सीधा होता है। मैं आग्रह करना चाहूंगा कि इस ओर ध्यान दें कि लेवी चावल सीधा लें बजाय इसके कि राज्यों के माध्यम से लें। जैसा कि आप अन्य राज्यों में करते हैं, पंजाब, हरियाणा या अन्य स्थानों पर निगम के माध्यम से परचेज़ करते हैं, उसी हिसाब से करेंगे तो खाद्यान्न की सुरक्षा भी होगी और किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य भी मिलेगा। आपका बिल बहुत छोटा सा है, हम चाहते हैं कि अच्छे ढंग से निगम काम करे, इसे काम की प्रतिठा भी मिले, काम की सही ढंग से पहचान बने और फाइनेंशियल डायरेक्टर्स को जिस रूप में रखने का फैसला लिया गया है, उसी रूप में निगम काम करे। इसी अपेक्षा के साथ हम इसका समर्थन करते हैं।

श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी माननीय सभापित महोदया, मैं वेयरहाउसिंग कारपोरेशन (अमेंडमेंट) बिल, 2005 का स्वागत करता हूं और इसका समर्थन कर रहा हूं। यह छोटा सा बिल है। सरकार ने पार्लियामेंट में परिचालित किया था कि कैसे फूड कारपोरेशन और केन्द्रीय वेयरहाउसिंग कारपोरेशन को बढ़ाना है इसके लिए ज्यादा संशोधन लाएंगे, उनकी एक्टीविटीज को बढ़ाएंगे, एक कॉम्प्रिहेन्सिव बिल लाएंगे, लेकिन सरकार वे संशोधन नहीं कर रही है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि वह कब काम्प्रिहेन्सिव अमेंडमेंट बिल लाएगी? देश में वेयरहाउसिंग कारपोरेशन को बढ़ाने की जरूरत है। हमारे देश में अनाज का उत्पादन हो रहा है। अधिक से अधिक फूड स्टोरेज हम कैसे कर सकते हैं? कैपिसिटी बढ़ाने के लिए, एक्टीि वटीज बढ़ाने के लिए, किसानों को सुविधाएं देने के लिए, जो जरूरतें हैं, उनके लिए कॉम्प्रिहेन्सिव बिल लाने की जरूरत है, जो माननीय मंत्री जी नहीं लाए। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि वह ऐसा बिल कब लाएंगे?

अनाज की खेती का नुकसान हो रहा है, माननीय मंत्री जी ने 29 जुलाई, 2005 को राज्य सभा में उत्तर दिया था कि वी 2002-03 में अनाज का उचित स्टोरेज नहीं होने के कारण, लॉस हो गया और वह अनाज स्पाइल हो गया। टोटल स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स में 1.135 लाख टन का लॉस हुआ, जिसकी वैल्यू 49.9 करोड़ रुपए थी। वी 2003-04 में 0.76 लाख टन का लॉस हुआ, जिसकी वैल्यू 29.19 करोड़ रुपए थी और वी 2004-05 में 0.97 लाख टन लॉस का प्रोवीजनल ब्यौरा था और 48.2 करोड़ रुपए का लॉस हुआ। स्टोरेज कैपिसिटी न होने की वजह से देश का जो अनाज बरबाद हो रहा है, इसके रखरखाव की जरूरत है। सरकार ने उत्तर दिया है कि ज्यादा लॉस हो रहा cè[p79]।

मैं जानना चाहता हूं कि सरकार की क्या मंशा है, इसे कैसे सेव करेगी? खेतों में जो अनाज पैदा होता है, स्टोरेज कपैसिटी न होने के कारण उसका 10 प्रतिशत लॉस हो जाता है। इसलिये यह जरूरी है कि स्टोरेज की व्यवस्था अच्छी तरह से की जाये।

सभापित महोदया, माननीय मंत्री जी जो बिल लाये हैं, मैं उसका समर्थन करता हूं लेकिन बिल में जो बातें बताई गई हैं, वे काफी नहीं हैं, इसलिये एक काम्प्रिहैंसिव बिल लाना चाहिये, यह मेरी मंत्री जी से रिक्वैस्ट है।

श्रीमती जयाबेन बी. ठक्कर सभापित महोदया, भांडागारण निगम अधिनियम में अमेंडमेंट करने के लिये माननीय मंत्री जी जो बिल लाये हैं, मैं उसकी पक्षधर हूं। मैं दो बातें माननीय मंत्री जी की जानकारी में लाना चाहूंगी। जहां भी फल या सब्जी की बम्पर क्रॉप आती है, वहां उसके भंडारण की व्यवस्था नहीं होने के कारण, बाजार में जब माल आता है तो उसके दाम गिरते हैं। इस कारण किसानों को उसका उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। हमारे यहां आलू की अच्छी फसल होती है। श्री राठवा जी बैठे हुये हैं, उनके क्षेत्र में टमाटर की बम्पर क्रॉप होती है। वह देखते होंगे कि रोड पर टमाटरों के ढेर पड़े रहते हैं। उनके भंडारण की कोई व्यवस्था नहीं होने से किसानों को उसका उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। मेरा सुझाव है कि चाहे वह आदिवासी एरिया में हो या सीज़नल क्रॉप हो, उसके भंडारण की व्यवस्था का कार्य एक अच्छे पब्लिक सैक्टर यूनिट को देना चाहिये। इस यूनिट में किसानों को सदस्य बनाया जाना जरूरी है। हालांकि फूड प्रोसैसिंग यूनिट्स इसमें नहीं आती हैं लेकिन सरकार द्वारा हो रही व्यवस्थाओं से जुड़ा हुआ मामला है। जैसे टमाटर से कैच अप बनाया जा रहा है, जिसे भंडारण करके रखा जाता है। अगर किसान उस यूनिट का सदस्य होगा तो वहां बैंक की व्यवस्था हो सकती है। इससे एक ऐसी सुविधा तैयार होगी। अगर हमारी जी.डी.पी.औसत से कम पड़ती है, किसान इतना काम करते हैं, फसल ज्यादा उगाते हैं, उसका उन्हें कोई लाभ नहीं मिलता है। इसलिये मेरी मांग है कि उन्हें सब्सिडी भी मिलनी चाहिये।

चौधरी लाल सिंह सभापति महोदया, माननीय मंत्री जी जो बिल में अमेंडमेंट लेकर आये हैं, मैं उसका समर्थन करता हूं।

हमारे जम्मू कश्मीर के लिये 2-3 बातें प्रेक्टिकली जरूरी हैं। वहां स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाना या कोल्ड स्टोरेज या दूसरे स्टोरेज बनाना जरूरी हैं। हमारे जम्मू क्षेत्र के आर.एस. पुरा, कठुआ और हीरा नगर के कुछ एरियाज में पेडी की बम्पर क्राप होती है। इस बम्पर क्राप के लिये हमारे किसानों ने, जो भी सरकार आई, उससे रिक्वैस्ट की कि पैडी का प्रोक्योरमेंट किया जाये तािक किसानों को उनके उत्पादन का मूल्य मिल सके और जो बाहर से पैडी मंगाई जाती है, उस पर रोक लगे। हमारे किसान हज़ारों टन पैडी पैदा करते हैं जिन्हें बिचौलिये लूटकर ले जाते हैं। मेरा मंत्री जी से सबिमशन है कि एफ.सी.आई. के जितने दफ्तर हैं, वहां टोटल इनफ्रास्ट्रक्चर cè[RB80], सिर्फ प्रोक्योरमैन्ट का ऑर्डर करना

है। रूरल एरिया के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि पिछली सरकारों ने वहां कुछ स्टोर्स बनाये हैं। लेकिन जहां पैडी और गेहूं नहीं होता, ऐसी जगहों पर स्टोर्स बनाये गये हैं। जहां इन चीजों की पैदावार होती है, वहां कोई स्टोर नहीं है। वहां महज कैरिज वगैरह का चक्कर पड़ा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप हमारी पैडी और गेहूं का प्रोक्योरमैन्ट करें। हम इसका समर्थन करते हैं और मुझे आशा है कि मंत्री जी अपने जवाब में खुलकर कहेंगे कि वह जम्मू-कश्मीर में इनका प्रोक्योरमैन्ट करायेंगे।

कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. अखिलेश प्रसाद सिंह): माननीय सभापित महोदया, मैं आपके माध्यम से सभी माननीय सदस्यों का हृदय से धन्यवाद करता हूं तथा जो माननीय सदस्य नहीं बोले हैं, मैं उनका भी तथा पूरे सदन का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक स्वर से इस संशोधन विधेयक का समर्थन किया। पिछले सप्ताह राज्य सभा में जब यह संशोधन विधेयक पास हुआ था, उस समय हमने उस सदन में कहा था कि सी.डब्ल्यू.सी. भारत सरकार की एक लब्धप्रतिक्ति संस्था है और अपने स्थापना काल से ही यह लगातार मुनाफा कमा रही है। यदि पहले नौ साल छोड़ दिये जाएं तो उसके बाद से हमेशा भारत सरकार को यह डिविडैन्ड देने का काम करती रही है।

सभापित महोदया, सी.डब्ल्यू सी. की स्थापना एग्रीकल्वर प्रोड्यूस डवलपमैन्ट एंड वेयरहाउसिंग एक्ट, 1956 की धारा 17 के अंतर्गत वी 1956 में हुई थी। जिसे 1962 में रिपील कर संसद में वेयरहाउसिंग कारपोरेशन एक्ट 1962 में इनैक्ट हुआ था। लगभग 43 साल के बाद हम लोग यह संशोधन विधेयक सदन में लाये हैं, जबिक यह पूर्व की सरकारों द्वारा इससे पहले लाया जाना चाहिए था। इस कारपोरेशन की स्थापना का मुख्य उद्देश्य कृति उत्पाद को साइंटिफिक स्टोरेज प्रदान करना, बाद में कृति क्षेत्र को यह सुविधा सस्ती दर पर उपलब्ध कराना एवं मुनाफे में वृद्धि करना था और सी.डब्ल्यू सी. ने निश्चित रूप से अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार किया है तथा डाइवर्सिफाई करने का काम किया है। इस देश में मुख्य तौर पर 501 वेयरहाउस काम कर रहे हैं, जिनकी मंडारण क्षमता 104.35 लाख मीट्रिक टन है। हम लोग जब पिछले साल सरकार में आये थे तो मुझे याद है कि तब इस कारपोरेशन का पहला प्रजेन्टेशन हुआ था। उस समय श्री शरद पवार जी की सबसे बड़ी चिंता थी कि वी 2001 में इस कारपोरेशन का प्रोफिट लगभग 90 करोड़ रुपये था, जो घटकर 22 करोड़ रुपये पर आ गया। उसके बाद हमारी सरकार ने कारपोरेशन के काम का ठीक ढंग से रिव्यू तथा मॉनिटरिंग की। मैं सभापित महोदया आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि एक साल के बाद हमारा मुनाफा पचास प्रतिशत बढ़ा है। पिछले वी जहां यह 22 करोड़ रुपये था, आज वह प्रोफिट बढ़कर 37 करोड़ पर पहुंचा cè[R81]।

आदरणीय त्रिपाठी जी की चिन्ता थी और सरकार की भी चिन्ता है कि कैसे हमारे किसान भाइयों की उपज का ठीक से रखरखाव किया जाए। हम आपको बताना चाहते हैं कि जहां सैन्ट्रल वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन की कैपेसिटी यूटिलाइज़ेशन, 2004 में हमारी सरकार बनने से पहले 60 प्रतिशत थी, वह आज 67 प्रतिशत तक पहुंचाने में हमें कामयाबी मिली है। जो स्टोरेज लॉस 0.38 प्रतिशत था, वह घटाकर 0.02 प्र ातिशत तक लाने में हमें कामयाबी मिली है। सीडब्लूसी एक आईएसओ 9001, आईएसओ 14000 सर्टिफाइड ऑर्गनाइज़ेशन है, जिसे शैड्यूल बी मिनी रत्ना कैटैगिरी-I पब्लिक सैक्टर एन्टरप्राइज़ की श्रेणी में रखा गया है। जब तक यह संशोधन पास नहीं होता, मिनी रत्ना की जो सुविधाएं इस कंपनी और कार्पोरेशन को मिलनी चाहिए, वे नहीं मिल पा रही हैं। इसी उद्देश्य से हमारी सरकार यह संशोधन विधेयक इस सदन में लाई है। डिपार्टमैंट ऑफ पब्लिक एन्टरप्राइज़ेज़ ने समय समय पर इस तरह के सुझाव दिये हैं, खासकर 1992 में कि फुल टाइम फंक्शनल डायरैक्टर्स बोर्ड में रखे जाएं, जैसे डायरैक्टर पर्सोनल, डायरैक्टर फाइनैंस एवं अन्य क्षेत्र जैसे प्रोडक्शन, मार्केटिंग, प्रोजैक्ट्स और प्लानिंग में भी रखे जाएं। इस ि वधेयक में ऐसे तीन फंक्शनल डायरैक्टर्स - डायरैक्टर फाइनैंस, डायरैक्टर पर्सोनल तथा डायरैक्टर मार्केटिंग एवं कार्पोरेट प्लानिंग का प्रावधान बोर्ड में किया जा रहा है। डिपार्टमैंट ऑफ पब्लिक एन्टरप्राइजेज़ का दूसरा महत्वपूर्ण सुझाव यह था कि गवर्नमैंट डायरैक्टर्स की संख्या बोर्ड की कुल सदस्यों की संख्या का 1/6 या 2, जो भी कम हो, उतनी रहनी चाहिए। तीसरा सुझाव उनके नॉन ऑफिशियल डायरैक्टर्स के बारे में था। इनकी संख्या बोर्ड के कुल सदस्यों की संख्या का कम से कम एक तिहाई होनी चाहिए। इसका चयन डिपार्टमैंट ऑफ पब्लिक एन्टरप्राइज़ेज़ के माध्यम से पैनल तैयार करके किया जाएगा। पब्लिक सैक्टर एन्टरप्राइज़ेज़ मिनी रत्ना को और ऑटोनॉमी देने तथा प्रोफैशनल कार्य प्रणाली लाने के लिए डिपार्टमैंट ऑफ पब्लिक एन्टरप्राइज़ेज़ ने 1997 में यह निर्णय लिया कि वैसे पब्लिक सैक्टर एन्टरप्राइज़ेज़ जो लाभ में हैं, उनको और ऑटोनॉमी दी जाए एवं उन्हें और कंपीटीटिव एवं एफीशियेंट बनाया जाए, यदि किसी पीएसई का पिछले तीन वर्ों में से किसी एक वी में लाभ 30 करोड़ रुपये से अधिक हो तथा उसकी नैट वर्थ पॉज़िटिव हो तो इन्हें और ऑटोनॉमी दी जाएगी। इसके तहत ये पीएसईज़ बिना सरकार की एप्रवल के कैपिटल एक्सपैंडीचर, जैसे नये प्रोजैक्ट्स, आधुनिकीकरण इत्यादि के लिए 300 करोड़ या अपने नैट वर्थ, जो भी कम हो, उतना खुद व्यय कर सकेंगे। ये

पीएसईज़ जॉइंट वैन्चर्स या सब्सीडियरीज़ भारत में स्थापित कर सकेंगे। पीएसईज़ का इनवैस्टमैंट सौ करोड़ रुपये तक या नैट वर्थ का पांच प्र ातिशत, जो भी कम हो, तक सीमित होगा। ऐसे सभी जॉइंट वैन्चर्स में कुल पीएसई की हिस्सा-पूंजी नैट वर्थ के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी[h82]।

इसके अतिरिक्त अन्य मामलों में आटोनोमी दी जाएगी, परन्तु आटोनोमी देने के पूर्व कुछ शर्तें रखी गई हैं, जैसे इन पीएसईज़ के बोर्ड को रिस्ट्रक्चर किया जाए तथा कम से कम तीन नॉन आफिशियल डायरेक्टर्स इनमें हों। इन्हीं शर्तों को पूरा करके सीडब्ल्युसी को और ज्यादा आटोनोमी देने और प्रोफेशनली मैनेज्ड एवं कम्पीटीटिव पीएसई बनाने हेतु यह अमेंडमेंट बिल सदन में सरकार ला रही है। धारा 7-8 में प्रासंगिक संशोधन का बिल में प्रावधान है। सभी बैंकों से ऋण लेने हेतु भी एक संशोधन लाया जा रहा है। पूर्व एक्ट में निहित प्रावधान के अनुसार वेयर हाउसिंग कारपोरेशन केवल आरबीआई, एसबीआई तथा नेशनलाइज्ड बैंक्स अथवा इंश्योरेंस इंवेस्टमेंट ट्रस्ट अथवा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जो सैंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अपूब्ड हों, उसी से ऋण ले सकता था। उसमें संशोधन करके यह प्रस्ताव किया जा रहा है कि सभी शेड्यूल्ड बैंकों से ऋण लेने में वेयर हाउस कारपोरेशन सक्षम हों। इसके लिए आरबीआई तथा मिनिस्टरी के फाइनेंस बैंकिंग डिवीजन के साथ 25 अप्रैल, 2005 को बैठक कर सर्वसम्मित से संशोधन करने हेतु निर्णय लिया गया, जिससे वेयर हाउसिंग कारपोरेशन को कम्पीटीटिव ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध हो सके।

माननीय सदस्य श्री सेठ साहब ने वोलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम के बारे में जो सवाल उठाया है, उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि वी 2001-02 के बाद कार्पोरेशन के फायदे में कमी आना निश्चित रूप से सरकार के लिए विंता का विाय था। इस गिरावट को रोकने के लिए तथा कार्पोरेशन की प्रोफिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए हमें खर्च को कम करने के रास्ते को ढूंढना पड़ा। एस्टेब्लिशमेंट कास्ट, जो कि टोटल कास्ट का एक बड़ा हिस्सा था, को कम करने के लिए वा 2002 में वोलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम लागू की गई। इसका मतलब यह नहीं था कि सरकार ने जबरदस्ती किसी की छंटनी करने का काम किया है। वा 2002 में वोलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम लागू होने के बाद 1301 कर्मचारियों ने वीआरएस ओप्ट किया, जिससे वा 2002-03 में जो एस्टेब्लिशमेंट कास्ट 65.39 परसेंट था, वह एस्टेब्लिशमेंट कास्ट घटकर 56.71 परसेंट हो गई। वीआरएस वैसे भी उन क्षेत्रों में लागू की गई है, जहां कर्मियों की संख्या आवश्यकता से अधिक थी। जहां तक कर्मचारियों द्वारा वीआरएस लेने का सवाल है, मैं बताना चाहता हूं कि यह कर्मचारियों का अपना फैसला है। उन्हें बाध्य नहीं किया गया और बाध्य किया भी नहीं जाएगा। नौकरी में बने रहने की तुलना में यदि उन्हें वीआरएस लेना ज्यादा आकर्ति लगता है, तभी वह इस स्कीम को ओप्ट कर सकते हैं।

सभापित महोदया, श्री रामकृणा जी चले गए हैं, लेकिन उन्होंने जो सवाल उठाया था, उसके संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि वर्तमान में भंडारण की सुविधा पर्याप्त है। किसानों को अपने उत्पाद के भंडारण तथा सुरक्षित रखने के लिए लोने लेने की सुविधा देने हेतु एक बिल संसद के इसी सत्र में हम लाना चाहते थे, लेकिन कुछ तकनीकी दिक्कतों के चलते वह बिल हम इस सत्र में नहीं ला पाए हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि संसद के अगले सत्र में निश्चित रूप से वह बिल आएगा। किसानों को 30 परसेंट सब्सीडी दी जाती है। किसानों को न केवल वेयर हाउस में अपना सामान रखने में सुविधा होगी, बिल्क उनका जो भी उपज का मूल्य होगा, उनको जो वेयर हाउस रिसीट मिलेगी, उस रिसीट के माध्यम से 80 परसेंट तक वे इंस्टीट्यूशन से लोन लेने में सक्षम होंगे[i83]।

सभापति महोदया, मैं बताना चाहता हूं ...(व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सेठ (तामलुक) : वह विधेयक कब आएगा ? ...(<u>व्यवधान</u>)

डॉ. अखिलेश प्रसाद सिंह : अगला सत्र जब भी चलेगा, तब आएगा।

सभापित महोदया, श्री के.एस. राव, माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा, उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं कि सरकार ने वी 2001-02 में अधिक अनाज की उपज के कारण लगभग 6 लाख टन अनाज रखने के लिए 7 वीिय गारंटी योजना के अन्तर्गत गोडाउन्स बनवाए हैं। अब स्टॉक में कमी के कारण गोडाउन की ऑक्युपेंसी में थोड़ी कमी आई है। श्री लाल सिंह, माननीय सदस्य, जम्मू-कश्मीर से आते हैं, उन्होंने भी अपने प्रदेश के बारे में पूछा है। मैं बताना चाहता हूं कि पूरे देश में गोडाउन्स बनाने की 7 वीिय गारंटी योजना नहीं चल रही है, लेकिन उनकी स्टेट में अभी भी यह योजना चल रही है और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में अभी भी बिजनैस गारंटी योजना चल रही है। इस योजना के तहत वहां गोडाउन्स बनवा सकते हैं। ...(व्यवधान)

11/9/2018

चौधरी लाल सिंह : सभापित महोदया, मैं मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि मैंने गोडाउन्स बनवाने की बात नहीं की थी। मैंने प्रोक्योरमेंट करने के बारे में पूछा था। वह आप शुरू करा दें। गोडाउन्स तो हम बनवा लेंगे।

डॉ. अखिलेश प्रसाद सिंह: चलिए, वह भी कराया जाएगा।

सभापित महोदया, श्री संतोा गंगवार जी ने एक सवाल पूछा था कि 10वीं पंचर्वीय योजना के अन्तर्गत स्टोरेज कैपेसिटी कंस्ट्रक्शन का लक्ष्य क्या था। मैं बताना चाहता हूं कि 10वीं पंचर्वीय योजना में 9.37 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य था, जिसे दिनांक 31-06-2006 तक निश्चित रूप से पूर्ण कर लिया जाएगा। हमें आशा है कि यह कार्य लक्ष्य से एक वी पहले ही पूर्ण कर लिया जाएगा। ...(<u>व्यवधान</u>)

श्री संतोा गंगवार (बरेली) : सभापित महोदया, मैं माननीय मंत्री जी को ध्यान दिलाना चाहता हूं कि मैंने लेवी चावल की परचेजिंज केन्द्र सरकार द्वारा कराने का निवेदन किया था। इस समय राज्य सरकार द्वारा परचेजिंग की जा रही है। मेरा निवेदन है कि वह केन्द्र सरकार द्वारा की जाए।

डॉ. अखिलेश प्रसाद सिंह : यह केवल आपके प्रदेश में नहीं है। एफ.सी.आई. भी प्रोक्योरमेंट का काम करती है और स्टेट गवर्नमेंट्स भी प्रोक्योरमेंट का काम करती हैं। हमने पिछले साल प्रोक्योरमेंट पालिसी का डिसेंट्रिलाइजेशन किया था और सारी स्टेट्स से कहा था। इस योजना को 11 राज्यों ने ऑप्ट किया है। बाकी राज्यों से भी हमारा निवेदन है कि वे इसे ऑप्ट करें। उत्तर प्रदेश के लिए जो भी सुविधा प्रोक्योरमेंट के मामले में भारत सरकार की ओर से अपेक्षित है, हम निश्चित रूप से उसमें सहयोग करेंगे।

सभापति महोदया, इसके साथ-साथ मैं फिर से आप सभी माननीय सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने इस संशोधन ि वधेयक पर अपनी सहमति व्यक्त की।

MADAM CHAIRMAN: Now, the question is:

"That the Bill further to amend the Warehousing Corporations Act, 1962, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MADAM CHAIRMAN: The House will now take up clause by clause consideration of the Bill.

The question is:

"That clauses 2 to 5 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clauses 2 to 5 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the long Title were added to the Bill.

MADAM CHAIRMAN: The Minister may now move that the Bill be passed.

DR. AKHILESH PRASAD SINGH: I beg to move:

"That the Bill be passed."

MADAM CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill be passed."

*The motion was adopted*[rpm84].

\_\_\_\_\_

MADAM CHAIRMAN: Item Nos. 19 and 20 will be taken up together. So, I think the House agrees to it.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

MADAM CHAIRMAN: Now, the hon. Minister has to move the Government Resolution.

17.45 hrs.